

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, गा० ५० रो०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय-

वित्तीय वर्ष २०२३-२४ में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य विपणन योजना" में मुख्य शीर्ष २४०५-मछली पालन के तहत कुल मो० ११९.२० लाख (एक करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति।

राँची, दिनांक १६/०६/२०२३

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष २०२३-२४ में राज्य योजना के मत्स्य विपणन योजना के तहत बजट शीर्ष-२४०५-मछली पालन अंतर्गत उपबंधित राशि मो० १६०.०० में से मो० ११९.२० लाख (एक करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार) रु० मात्र के अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह एक पूर्व चालित योजना है। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ अवस्था में मछलियों तथा मछलियों के बीज परिवहन हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों को अनुदान पर चार पहिया भारवाहक वैन उपलब्ध कराना एवं एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है।

२. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षों में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है :

गाँव सं०-५३-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-२४०५-मछली पालन
(राशि लाख रु० में)

क्र०	गद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
१	२	३	४	५
१	लघु शीर्ष-१०१-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-५०-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-०३-प्रशासनिक व्यय-२३-आपूर्ति एवं सामग्री ५३९२४०५००१०१५००१०३२३	४०.००	३९.६०	०.४०
२	लघु शीर्ष-७८९-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-५०-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-०३-प्रशासनिक व्यय-२३-आपूर्ति एवं सामग्री ५३९२४०५००७८९५००१०३२३	२०.००	२०.००	०.००
३	लघु शीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-५०-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-०३-प्रशासनिक व्यय-२३-आपूर्ति एवं सामग्री ५३९२४०५००७९६५००१०३२३	६०.००	५९.६०	०.४०
४	लघु शीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-५०-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण-४४-जीर्णोद्धार ५३९२४०५००७९६५००१०५४४	४०.००	०.००	४०.००
योग :		१६०.००	११९.२०	४०.८०

३. मछलियों तथा मछलियों के बीज परिवहन हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों को अनुदान पर चार पहिया भारवाहक वैन के लिए विभागीय अनुदान ६० प्रतिशत अथवा अधिकतम मो० ३.६० लाख रु० (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा। लाभुक अपनी इच्छा से चार पहिया भारवाहक वैन कय कर सकेंगे। शेष राशि, वाहन के निबंधन, बीमा आदि का व्यय लाभुक को स्वयं वहन करना होगा।

4. वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं० 14 रा० (विभाग) दिनांक 28.09.2020 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं० 24 रा० (विभाग) दिनांक 11.11.2022 की भांति ही शहरी क्षेत्रों में एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान दिया जाएगा। सक्षम स्तर से चयनित लाभुकों को प्रति लाभुक अधिकतम मो० 1.00 लाख रु० का उपकरणों के रूप में अनुदान कुल 04 लाभुकों के रंगीन मछली/एक्वेरियम बिक्री दुकान हेतु दिया जाएगा जिसपर विभागीय योजना का नाम अवश्य अंकित किया जाएगा।
5. सुयोग्य लाभुकों के चयन एवं योजना की Feasibility की पूरी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. लाभुकों का चयन जिला स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे -
- जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी
 - जिला सहकारिता पदाधिकारी
 - जिला पशुपालन पदाधिकारी
 - जिला गव्य विकास पदाधिकारी
 - सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
 - सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु प्रगतिशील मत्स्य पालकों के सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
 - जिले के वरीयतम मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक - सदस्य सचिव
7. लाभुकों के चयन का आधार निम्न प्रकार होगा :-
- 7.1 चार पहिया भारवाहक वैन के लाभुकों का चयन का आधार निम्न प्रकार होगा -
- लाभुक द्वारा कम से कम 6.00 लाख रु० का भार वाहक वैन खरीदने का आवेदन दिया गया हो।
 - आवेदक/आवेदक समिति मछली के विपणन कार्य अथवा मछली के बीज का परिवहन करती हो।
 - आवेदक/आवेदक समिति अपना अंशदान लगाने में सक्षम हो।
 - आवेदक मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो।
- संबंधित जिले के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा लिखित रूप में प्रतिवेदन किया जायेगा कि आवेदक मत्स्य बिक्री अथवा थोक व्यापार से जुड़ा है।
- 7.2 एक्वेरियम शॉप/रंगीन मछली दुकान सज्जा के लिए उपकरण हेतु अनुदान के लिए लाभुकों का चयन निम्न आधार पर होगा -
- आवेदक रंगीन मछली पालन/एक्वेरियम शॉप संचालन हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित हो।
 - मत्स्य प्रसार, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना में रंगीन मछली पालन के प्रशिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
 - आवेदक अपना अंशदान लगाने में सक्षम हो।
 - दिव्यांग आवेदक जो कंडिका 7.2 (ख) में हों उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
- 7.3 दिव्यांग होने की स्थिति में आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हो।
- 7.4 चयनित लाभुकों की सूची पर संबंधित जिले के उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8. वैसे लाभुक जिन्हें चारपहिया भार वाहक वैन अनुदान पर दिया जायेगा उन्हें अन्य उपकरणों के क्रय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।
9. योजना के तहत चयनित प्रत्येक लाभुकों का Escrow Account संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा अनिवार्य रूप से खोला जायेगा एवं अनुदान की राशि Escrow Account में ही हस्तांतरित की जायेगी। अंतिम रूप से चयनित होने के उपरांत लाभुकों को भी अपना अंशदान Escrow Account में 01 (एक) माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। लाभुक अंशदान जमा होने के उपरांत ही लाभुकों को वाहन/उपकरण के क्रय/प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त होगी। आवेदक/आवेदक समिति के द्वारा लाभुक अंशदान संबंधित Escrow Account में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। वाहन/उपकरण इत्यादि के आपूर्ति के उपरांत लाभुक अंशदान एवं अनुदान की राशि एकमुश्त आपूर्तिकर्ता के बैंक खाता में हस्तांतरित की जायेगी।

3/1/24

ATM

10/1/24

10. अनुदान की राशि नियमानुसार चयनित लाभुकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा।
11. लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो।
12. जिला मत्स्य पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अपने जिला/स्थापना के लिये इस योजना के लाभुकों की पंजी संधारित कर उसमें दर्ज लाभुक के क्रमांक एवं विभाग तथा योजना के नाम को शॉप तथा वाहनों पर दर्ज कराया जायेगा। नगर-निगम/नगर-पालिका/जिला परिवहन कार्यालय से शॉप/वाहन का निबंधन कराने एवं निर्धारित कर/शुल्क जमा करने की जिम्मेवारी लाभुक की होगी। निबंधन अथवा नगरपालिका का कर आदि का भुगतान लाभुक द्वारा किया जायेगा।
13. जिलावार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट '1' के रूप में संलग्न है।
14. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) तथा सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची होंगे, जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (संलग्न परिशिष्ट '1') के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।
15. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
16. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।
17. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
18. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।
19. वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि मो0 200.00 लाख मात्र का व्यय प्रतिवेदन (भौतिक, वित्तीय उपलब्धि तथा चयनित लाभुक की विवरणी सहित) निदेशक, मत्स्य के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
20. विषयगत योजना अंतर्गत सामग्रियों के क्रय में वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
21. मत्स्य परिवहन हेतु भारवाहक वाहन का मानक निर्धारण किया जाय। भारवाहक वाहन से लाभान्वित समितियों के कार्यकलाप/आय पर impact study की जाय।
22. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
23. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 11.11.20 (वि.0) / राँची, दिनांक 16/06/2023

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/11/23
11/11/23

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 11210(वि०) / रॉची, दिनांक 16/06/2023

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) एवं सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 11210(वि०) / रॉची, दिनांक 16/06/2023

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

3/1/23
7/1/23

परिशिष्ट 1.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत जिलावार मीतिक लक्ष्य (₹10 में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹0 में)

क्र०	जिला का नाम	लघु शीर्ष-101-अन्तर्गीय मण्डली पालन				लघु शीर्ष-788-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				लघु शीर्ष-796-अन्यजातीय क्षेत्र उपयोजना				कुल वित्तीय लक्ष्य				
		मीतिक	वित्तीय	मीतिक	वित्तीय	मीतिक	वित्तीय	मीतिक	वित्तीय	मीतिक	वित्तीय	मीतिक	वित्तीय					
1	राँची	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7.20	10.80			
2	बुधगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.60	7.20			
3	जमशेदपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.60	3.60			
4	पलामू	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.60	3.60			
5	दरभंगा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.60	3.60			
6	बलसोर	2	7.20	0	0.00	1	3.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.60	10.80			
7	मधुपूर	1	3.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60			
8	बाँसगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60			
9	जमशेदपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7.20	7.20			
10	बाँसगढ़	1	3.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.60	3.60			
11	बाँसगढ़	1	3.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	7.20			
12	बाँसगढ़	2	7.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60			
13	बाँसगढ़	1	3.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	7.20			
14	बाँसगढ़	2	7.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60			
15	बाँसगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	10.80			
16	बाँसगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7.20	7.20			
17	बाँसगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.60	3.60			
18	बाँसगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7.20	7.20			
19	बाँसगढ़	1	3.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7.20	7.20			
20	कुल मीतिक	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60			
उप योग		11	39.60	0	0.00	39.60	0.00	5	18.00	2	2.00	20.00	18	57.60	2	2.00	59.60	1119.20

नोट - विवरण सत्य हो करारदाता नहीं कराए।

Signature

(सहसंचालक जिलावार मीतिक लक्ष्य) सरकार के अधिकारी